न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 3/18
निर्णय दिनांक : 10.02.2018

1. गोपाललाल
2. सीताराम
3. प्रभुदयाल
4. गुलाबचन्द
5. शंकरलाल
6. मदनलाल

समस्त जाति छोटू जाति कुमावत नि0 ढाणी नागान तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये– तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभर जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू0राजस्व अधिनियम

नक्शा में तरमीम किये जाने एवं दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 560 रकबा 5 विस्वा, ख0नं0 561/2 रकबा 1 विस्वा,ख0नं0 691/561 रकबा 11 बीघा 9 विस्वा किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 15 विस्वा वाकै ग्राम ढाणी नागान तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात के मूल ख0नं0 559, 560, 561 किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 11 विस्वा थे जो कि पूर्व में उक्त खातेदारी छोटू, नाथू पुत्रान मंगला की खातेदारी मे दर्ज थी। जिनके मध्य आपसी सहमति से विभाजन होने पर उक्त भूमि का विभाजन किया जाने पर प्रार्थीगण के पिता छोटू के हिस्से में आराजी ख0नं0 560, 561/2, 591/561 कुल 11 बीघा 15 विस्वा भूमि हिस्सें मे आयी थी। जिसका राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज करते हुये दोनों की खातेदारी अलग अलग कर दी गई परन्तु राजस्व नक्शें मे उक्त आराजीयात की तरमीम नहीं की गई। प्रार्थीगण के पिता अनपढ़ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से उनको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रह पायी। जिसके कारण नक्शें में तरमीम नहीं करवा पाये। प्रार्थीगण के पिता छोटू पुत्र मंगला की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम उपरोक्त आराजीयात का खोला गया परन्तु राजस्व नक्शे में उक्त आराजीयात की तरमीम होने की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो पायी। परन्तु वर्तमान मे जब प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने के लिए राजस्व नक्शें व जमाबन्दी की नकल दिनांक 10.11.17 प्राप्त की जो प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उनकी खातेदारी मूल ख0नं0 से जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड में तो विभाजित की हुई है परन्तु राजस्व नक्शें में उक्त आराजीयात विभाजित की तरमीम नहीं हो रखी है। जिस पर प्रार्थीगण श्रीमान्

अधिकारी

Scanned by CamScanner

तहसीलदार फुलेरा के पास उक्त आराजीयात का राजस्व नक्शें में जमाबन्दी रिकोर्ड के अनुसार तरमीम करने को कहा तो प्रतिवादी तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रा0पत्र राजस्व नक्शें में तरमीम व दुरूस्ती किये जाने का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में जमाबन्दी खं0नं0 560, 561/2, 591/561 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, सह खातेदारों के बीच 2002 में आपसी सहमति से श्रीमान् तहसीलदार फुलेरा के समक्ष हुआ बंटवारा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति मय नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी खतौनी की प्रतिया पेश की है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार करने का निवेदन करते हुए कथन किया कि तहसीलदार फुलेरा के समक्ष दिनांक 02.01.02 को प्रार्थीगण व सहखातेदारों के द्वारा बंटवारे मे प्रस्तुत नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण के आराजी खं0नं0 560, 561/2, 591/561 को मूल खंसरा नं0 से वर्तमान राजस्व नक्शें मे विभाजित करते हुये प्रार्थीगण के जमाबन्दी में दर्ज हिस्सें के अनुसार तरमीम की जावें। उक्त प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रा0पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर दिनांक 02.01.02 को तहसीलदार फुलेरा के समक्ष प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों के द्वारा बंटवारें में प्रस्तुत नक्शें के अनुसार आराजी खं0नं0 560 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 561/2 रकबा 1 विस्वा,खं0नं0 691/561 रकबा 11 बीघा 9 विस्वा किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 15 विस्वा वाकै ग्राम ढाणी नागान तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 को मूल खसरा नम्बर से वर्तमान राजस्व नक्शें में विभाजित करते हुये प्रार्थीगण के जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सें के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश आज दिनांक 10.02.18 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner